रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012020-215285
CG-DL-E-10012020-215285

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 6, 2020/पौष 16, 1941
No. 86] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 2020/PAUSHA 16, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2020

का.आ. 94(अ).— अधिसूचना संख्या का.आ. 102 (अ), तारीख 1 फरवरी, 1989 (इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) को, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश (अब उत्तराखंड) में दून घाटी में, उत्तर में मसूरी रिज़ से घिरा, उत्तर-पूर्व में हिमालयी पर्वतश्रेणी, दक्षिण-पश्चिम में शिवालिक श्रेणियों द्वारा, दक्षिण-पूर्व में गंगा नदी और उत्तर-पश्चिम में यमुना नदी में उद्योगों, खनन कार्यों और अन्य विकासात्मक क्रियाकलापों पर, क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगा दिया था;

और, उक्त अधिसूचना के संबंध में कतिपय दिशा-निर्देश अधिसूचना संख्या का.आ. 943 (अ), तारीख 4 जुलाई, 2005 और का.आ. 2125 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2007 द्वारा जारी किए गए हैं;

और, इस बीच, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने पत्र सं. बी-29012/ईएसएस(सीपीए)/2015-16, तारीख 7 मार्च, 2016 को उद्योगों के वर्गीकरण पर भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

और, उत्तराखंड सरकार ने पत्र सं. 122/डी-3-19-13(04)/2018, तारीख 10 अप्रैल, 2019 को उक्त अधिसूचना में संशोधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुरोध किया;

और, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार के अनुरोध की जांच की है;

और, उपर्युक्त संशोधनों और दिशा-निर्देशों को समेकित करने और उक्त निर्देशों और संशोधनों के आधार पर शर्तों का सामंजस्य करने की भी आवश्यकता है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1), के साथ धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती हैं और उपरोक्त मानदंड में मिल कर बनने वाली दून घाटी में आने वाले क्रियाकलापों के संबंध में निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित करें, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, खंड (i), (ii), (iii), (iv), (v) और उपाबंध, के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" (i) **औद्योगिक इकाइयों के अवस्थान/स्थल** – केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा पत्र सं. बी-29012/ईएसएस(सीपीए)/2015-16, तारीख 7 मार्च, 2016 को धारा 18 (1) (बी) के तहत जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 लाल/नारंगी/हरा/सफ़ेद श्रेणियों के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों के वर्गीकरण के सांमजस्य के संबंध में जारी किए गए संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार होना चाहिए और सीपीसीबी और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

(ii) **खनन-** किसी भी खनन क्रियाकलाप को शुरू करने से पहले संघ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मंजूरी अभिप्राप्त करनी होगी।

(iii) **पर्यटन-** पर्यटन विकास योजना (टीडीपी) के अनुसार, राज्य पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किया जाना चाहिए और संघ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यथानियम अनुमोदित किया जाना चाहिए।

(iv) **चराई-** राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली योजना के अनुसार और संघ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यथानियम अनुमोदित किया जाना चाहिए।

(v) **भूमि उपयोग-** संपूर्ण क्षेत्र के विकास और भूमि उपयोग योजना के महायोजना के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाना है और संघ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

टिप्पण:

(क) दून घाटी में उद्योगों की लाल प्रवर्गों की अनुमति नहीं होगी;

(ख) दून घाटी में ईंधन जलाने वाले उद्योगों की कुल संख्या को सभी स्रोतों से सल्फर डाइऑक्साइड के 8 टन प्रति दिन तक सीमित किया जाएगा। (यह 1% सल्फर के साथ प्रति दिन 400 टन कोयले के समान है।);

(ग) औद्योगिक क्षेत्रों के स्थल निर्धारित मानदंड पर और सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ होगी;

(घ) विद्यमान नारंगी प्रवर्ग के उद्योग, जो अब उद्योगों की लाल प्रवर्गों में हैं, को जारी रखा जाएगा, तथापि, किसी विस्तार की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।"।

[फा. सं. 25/6/2012-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii), संख्या का.आ. 102 (अ), तारीख 1 फरवरी, 1989 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2020

S.O. 94(E).—WHEREAS, *vide* notification number S.O. 102(E), dated the 1st February, 1989 (hereinafter referred as the said notification) the erstwhile Ministry of Environment and Forests imposed restriction on location of industries, mining operations and other developmental activities in the Doon Valley, bounded on the North by Mussoorie ridge, in the North-East by Lesser Himalayan ranges, on the South-West by Shivalik ranges, river Ganga in the South-East and river Yamuna in the North-West in erstwhile Uttar Pradesh (now Uttarakhand), keeping in view the environmental impact in the region;

AND WHEREAS, in respect of the said notification certain directions have been issued *vide* notification number S.O. 943 (E), dated the 4th July, 2005 and S.O. 2125 (E), dated the 13th December, 2007;

AND WHEREAS, in the meantime the Central Pollution Control Board (CPCB) has also issued directions on the categorisation of industries *vide* letter No. B-29012/ ESS(CPA)/2015-16, dated the 7th March, 2016;

AND WHEREAS, the Government of Uttarakhand *vide* letter No. 122/D-3-19-13(04)/2018, dated the 10th April, 2019 requested the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for amendment in the said notification;

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has examined the request of the Government of Uttarakhand;

AND WHEREAS, there is a need to consolidate the amendments and the directions as above and also to harmonise the conditions based on the said directions and amendments;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with sub-rule (4) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification and impose following conditions in respect of the activities falling the Doon Valley comprising of the above criteria, namely: -

In the said notification, for clauses (i), (ii), (iii), (iv), (v) and ANNEXURE, the following shall be substituted, namely:-

"(i) **Location/siting of industrial units** – It has to be as per modified directions issued by the Central Pollution Control Board (CPCB) *vide* letter No. B-29012/ESS(CPA)/2015-16, dated the 7th March, 2016 under section 18(1)(b) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 regarding harmonization of classification of industrial sectors under red/orange/green/white categories and as may be amended from time to time by the CPCB and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(ii) **Mining** – Approval of the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change must be obtained before starting any mining activity.

(iii) **Tourism** – It should as per Tourism Development Plan (TDP), to be prepared by the State Department of Tourism and duly approved by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(iv) **Grazing** – As per the plan to be prepared by the State Government and duly approved by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(v) **Land Use** – As per Master Plan of development and Land Use Plan of the entire area, to be prepared by the State Government and approved by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

Note:

(a) Red categories of industries shall not be permitted in Doon Valley;

(b) The total number of fuel burning industries that shall be permitted in the Doon Valley shall be limited by 8 tonnes per day of Sulphur Dioxide from all sources. (This corresponds to 400 tonnes per day Coal with 1 % Sulphur);

(c) Siting of Industrial areas shall be based on the prescribed criterion and with prior approval of Competent Authority;

(d) Existing orange categories industries, which are now in the red categories of industries shall be continued, however, no expansion shall be allowed.".

[F. No. 25/6/2012-ESZ]

DR. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 102 (E), dated the 1st February,1989.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.01.10 11:25:38 +05'30'